

नीलामी की सूचना

सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की में प्रतिस्थापित सौर ऊर्जासंयंत्र कुल क्षमता 83 किलोवाट के अंतर्गत सोलर निष्प्रोज्य बैटरियों (360 नम 2 V Low M/N Head, Lead Batteries 360 volt 1700AH) की जस तस स्थिति में नीलामी हेतु खुली अधिकतम दरे/बोली (प्रति किलोवाट की दर से) अधिशासी अभियन्ता, प्रशासन खण्ड, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की के नाम उक्त पत्र पर दिनांक 30.09.2023 को अपरान्ह 3.30 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जोकि अपरान्ह 4.00 बजे खोली जायेगी। बोली/दरों के साथ रू0 25,000/- मात्र (पच्चीस हजार मात्र) का धरोहर के रूप में FDR/NSC अधिशासी अभियन्ता, प्रशासन खण्ड, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की के नाम बंधक रख मूल रूप में सलग्न किया जाना अनिवार्य है अन्यथा दरे मान्य नहीं होगी। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी हेतु किसी कार्य दिवस/समय में कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

नियम एंव शर्त:-

1. नीलाम किये जाने वाले सोलर बैटरियों का निरीक्षण नीलामी की तिथि से पूर्व 02 दिन तक प्रातः 11.00 बजे से 04.00 बजे तक किया जा सकता है।
2. अधिकतम बोलीदाता को बैटरियों के वजन मानक हेतु तुला संयंत्र का प्रबन्ध स्वम किया जायेगा।
3. सोलर बैटरियों जैसा है, जहाँ है, के आधार पर नीलाम किया जायेगा।
4. बोली बोलने वाले व्यक्ति को राजकीय सामान की नीलामी शर्त जो भी विभाग द्वारा निश्चित की जायेगी का पालन करना होगा।
5. अधिकतम बोली की राशि पर वैट बोलीदाता को अलग से देना होगा।
6. इच्छुक बोलीदाता को नीलामी की दिनांक को धरोहर धनराशि प्रातः 10.00 बजे से 10.30 बजे तक नकद FDR/NSC के रूप में जमा करनी होगी। उसके उपरान्त किसी भी बोलीदाता की धरोहर धनराशि जमा नहीं की जायेगी। साथ ही पहचान के लिए आधार कार्ड/वोटर कार्ड/पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति देनी होगी।
7. अधिकतम बोलीदाता की धरोहर धनराशि को समायोजित करते हुए बोली की राशि की 25 प्रतिशत धनराशि बोली छूटने के बाद तुरन्त जमा करनी होगी। बोलीदाता द्वारा यदि 25 प्रतिशत राशि जमा करने में असमर्थ रहता है तो द्वितीय बोलीदाता से धनराशि जमा करायी जायेगी तथा पूर्व अधिकतम बोलीदाता की धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। नीलामी की शेष राशि नीलामी की स्वीकृति के उपरान्त 7 दिवस के अंतर्गत जमा करनी होगी।
8. नीलामी की स्वीकृति का अनुमोदन सक्षम अधिकारी द्वारा यदि कतिपय कारणों से प्रदान नहीं किया जाता है अथवा बिलम्ब से प्रदान करने पर बोलीदाता द्वारा जमा धनराशि पर कोई ब्याज का क्लेम मान्य नहीं होगा।
9. बिना कारण बताये नीलामी अथवा किसी भी बोली को निरस्त करने का अधिकार नीलामी समिति को होगा।
10. नीलामी से सम्बन्धित किसी भी विवाद का दावा माननीय न्यायालय जनपद हरिद्वार के क्षेत्र में ही मान्य होगा।
11. अधिकतम बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि निष्प्रोज्य बैटरियों को उठाने से पहले प्रदूषण एवं पर्यावरण बोर्ड से नियत मानकों के अनुरूप ही इन बैटरियों को नष्ट करेगा एवं नष्ट किये जाने के उपरान्त संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। तदोपरांत ही बंधक धरोहर धनराशि को अवमुक्त किया जाना संभव होगा।
12. बोलीदाता के अपनी फर्म का प्रदूषण एवं पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड में अपना पंजीकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अधिशासी अभियन्ता
प्रशासन खण्ड

19/9/2023

पत्रांक- /प्र0ख0/तदिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- मुख्य अभियन्ता स्तर-1 परिकल्प एवं निदेशक, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, शोध मण्डल, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की।
- 3- शोध अधिकारी, आधारान्वेषण इकाई, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की।
- 4- सहायक अभियन्ता-प्रथम, प्रशासन खण्ड, रुड़की।

अधिशासी अभियन्ता
प्रशासन खण्ड